

To

Date:- 29-11-2021

The CPIO/PIO  
C/o Coordinating Officer,  
Heritage Conservation Committee,  
India Habitat Centre, Lodhi Road,  
New Delh-110003

Subject:- Information under the Right to Information Act 2005.

Ref:- प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं के बारे सूचनाये हेतु ।

Sir / Madam,

With reference to the above I Virender Kumar, R/O A-1/650, Sector-6,  
Rohini, Delhi-110085 submit as under:-

1. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाये ।
2. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाये ।
3. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है तो क्या वह बिल्डिंग लीगल होगी या अनलिगल होगी लिखित में जानकारी दी जाये ।

Ry  
1/12/2021

CPIO Int. A/Ka

V. K. K.

4. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैंगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता हैं तो क्या उतरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सैंगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलिगल है लिखित में जानकारी दी जाये ।
5. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेता हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते है लिखित में जानकारी दी जाये ।
6. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उतरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सैंगसन कर सकता हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाये ।

Thanking you,

Yours faithfully,



Virender Kumar

A-1/650, Sector-6,

Rohini, Delhi-110085.

Phone:- 9810396064

Email:- [virendersharma1212@gmail.com](mailto:virendersharma1212@gmail.com)

Note:- A Postal Order No. 93G 401387 Dated- 29/11/2021 amountin to Rs. 50/- is annexed as fee.